सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 946 **17 Agrahayan, 1939 (S)**

Ranchi, Friday, 8th December, 2017

Department of Revenue, Registration and Land Reforms

Notification

6th December, 2017

File no.-2/Bhu-Abhi, Pari Dire. (Survey/Re-survey)-47/2016-731/Ni.Ra,-- In exercise of the power conferred by section 80 and 81 read with sub section (1) of section 127 of the Chotanagpur Tenancy Act, 1908 (Bengal Act VI of 1908) the Governor of Jharkhand is pleased to order that earlier notified **s.o.-1669, dated 23 December, 1975** now incorporates Modern Technology survey method using high resolution satellite imagery supported by ground truthing using differential GPS/Total station of total unsurveyed (Including Kistwar, Khanapuri, Tasdik work) 875 villages within the local limits of Ranchi, Khunti, Simdega districts be made and record of right prepared in respect of land including the Railways and Government land with exception of the areas which may have been declared to be reserved forest under the Indian Forest Act, 1927 (Act XVI of 1927) and the area comprised within the local limits of Municipal Corporation, all Municipalities and Notified Area Committees.

2. The particulars to be recorded in the said survey and record of right shall be as follows.

(a) The name of each tenant; or occupant.

(b) The class to which each tenant belongs, that is to say whether he is a tenure holder, "Mundari- Khunt- Kattidar," settled 'raiyat', occupancy raiyat, non occupancy raiyat, raiyat having "khunt kati," rights, under raiyats of the other class or tenant;

(c) The situation and quantity and one or more of the boundaries of the land held by each tenant or occupier;

(d) The rent payable at the time the record-of -right is being prepared and the manner in which that rent has been fixed, whether by contract, or by order of Court, or otherwise;

(e) If the rent is gradually increasing the time at which, and the steps by which it is increasing;

(f) The special conditions and incident (if any) to the Tenancy;

(g) If the land is claimed to be held rent – free whether or not rent is actually paid, and, if not paid, whether or not the occupant is entitled to hold the land without payment of rent and, if so entitled under what authority;

(h) (i) The existence, nature and extent of the right of any person, whether a landlord or waste land or to graze cattle on any land, or to take fish from any water, or of any similar right in any village in the area to which the record-of-rights applies;

(ii) The sum, of any payable by any person in respect of such right;

(i) The right of any person to reclaim jungle land or waste land, or to convert land into Korkar.

(j) Any easement attaching to the land for which the record of rights being prepared;

(K) The rights and allegations of each tenant and landlord in respect of-

(i) The use, by tenants of water for agricultural purposes whether obtained from a river, jhil, tank or well or any other sources of supply;

(ii) The repair and maintenance of appliances for securing supply of water for the cultivation of the land held by each tenant, whether or not, such or not, such appliance be situated within the boundaries of such land.

The Government of Jharkhand is further pleased to order that within the local limits of the areas specified in Paragraph :-

A record shall be prepared of-

(a)All raiyats having khunti- katti right; and

(b) Headman of villages or groups of villages, whether known as pradhans or Manki-Munda or majhis otherwise; and

(c) Identification of illegally alienated lands of the tribals;

(d) A settlement of fair rent to be paid by such raiyats having khunt katti rights and by such persons; shall be made.

The Government of Jharkhand is also pleased to order that the particulars described in clauses (b) and (i) of paragraph 2 of this notification shall not be recorded in respect of any areas within the local limits of the areas specified in paragraph 1 which have been declared to be protected forest under the Forest Act, 1927 (Act XVI of 1927) and the area comprised within the local limits of Municipal Corporation, all Municipalities and Notified Area Committees.

Enclosure :-

1. List of 875 Unserveyed Villages.

sd/-
Kamal Kishor Soan,
Secretary.

उपरोक्त अधिसूचना का हिन्दी में निम्नलिखित अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

ह०/-
कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2017

संख्या-2/भू०अभि०परि०निदे०(सर्वे/रिसर्वे)-47/2016/रा-731,-- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-80, और धारा-81 सह वाचित धारा-127 के उपधारा-(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल आदेश देते है कि पूर्व अधिसूचित अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-1669 दिनांक 23 दिसम्बर, 1975 में Method using High Resolution Satellite Imagery Supported by Ground Truthing using Differential GPS and/or Total Station आधुनिक तकनीक (Modern Technology) का समावेश करते हुए राँची, खूँटी, सिमडेगा जिला के स्थानीय सीमा के अंतर्गत जितनी भी भूमि है, में कुल-875 राजस्व ग्राम असर्वेक्षित (किस्तवार, खानापुरी एवं तसदीक कार्य) रह गये है, का भू-सर्वेक्षण का कार्य किया जाय और अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए, जिसमें जिले के अंतर्गत अवस्थित रेलवे एवं सरकारी भूमि भी सम्मिलित है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जायेगा, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम XVI, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित है और वे क्षेत्र जो नगर निगम/नगर निकाय तथा अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों के अंतर्गत आते हैं ।

कथित सर्वे में निम्नांकित विवरणी दर्ज की जाएगी और निम्नांकित अभिलेख तैयार किये जायेंगें :-

(क) प्रत्येक भू-धारी या दखलकार का नाम ।

(ख) अभिधारी (काश्तकार) का वर्ग जैसे, मुण्डारी खुँटकट्टीदार, कायमी रैयत, दखलकार रैयत, गैर दखलकार रैयत, खुँटकट्टी हक प्राप्त रैयत, दर-रैयत व अन्य ।

(ग) परिस्थिति और मात्रा एवं प्रत्येक रैयत तथा दखलकार जिसके अन्तर्गत एक या अधिक सीमा/सीमाओं वाली जमीन हो ।

(घ) अधिकार अभिलेख लिखे जाते समय भुगतान किया जाने वाला लगान, लगान निर्धारण का तरीका, आपसी समझौता, न्यायालय का आदेश व अन्य।

(ड़) यदि लगान बढ़ा है तो उसका समय और कार्यवाही जिसके तहत् यह बढ़ाया गया है।

(च) काश्त का विशेष शर्त और प्रभाव यदि कोई हो ।

(छ) यदि यह दावा किया जाता है कि कोई जमीन लगान मुक्त है तो लगान का भुगतान हुआ है अथवा नहीं, और अगर लगान का भुगतान नहीं हुआ है तो दखलकार को बिना लगान दिए हुए जमीन रखने का हक है अथवा नहीं, यदि रैयत को यह अधिकार मिला है तो किस अधिकार के तहत उसे यह मिला है ।

(ज) (i) जिस गाँव का अधिकार अभिलेख बन रहा है वहाँ सरकार या रैयत की परती भूमि पर या चरवाही के लिए किसी जमीन पर, मछली मारने या इसी प्रकार के अन्य अधिकार की प्रकृति एवं सीमा ।

(ii) किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के अधिकारों के लिए देय राशि ।

(झ) जंगल या परती भूमि पर रैयत को कोड़कर बनाने का अधिकार ।

(ञ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख बन रहा है उससे जुड़ा कोई भोगाधिकार ।

(ट) प्रत्येक रैयत और सरकार के अधिकार -

(i) रैयत के द्वारा कृषि के प्रयोजन के लिए नदी, झील, तालाब, कुआँ और किसी अन्य स्रोत से पानी आ सकता है ।

(ii) सिंचाई के उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव जिनके द्वारा प्रत्येक खेतिहर के जमीन को पानी की आपूर्त्ति की जाती है, चाहे इस प्रकार का उपकरण प्रभावित जमीन की सीमा के अन्तर्गत स्थित हो अथवा नहीं ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उल्लिखित क्षेत्रों के अन्तर्गत निम्नाकित प्रविष्टियाँ उनके संगत कॉलम/अभ्युक्ति कॉलम में दर्ज किए जाए :-

(क) खुँटकट्टी हक प्राप्त सभी रैयत ।

(ख) गाँव का मुखिया या गाँव के समूह का प्रधान, चाहे वे प्रधान के नाम से जाने जाते हों या मानकी-मुण्डा, माँझी या अन्य नाम से ।

(ग) नाजायाज तरीके से हस्तांतरित अनुसूचित जनजातियों की जमीन ।

(घ) खुँटकट्टी हक प्राप्त रैयत के द्वारा दिए जाने वाले लगान का निर्धारण ।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की कंडिका 2 क्लॉज (ख) और (झ) को लेकर उन क्षेत्रों का अधिकार अभिलेख तैयार नहीं किया जाएगा जो उस क्षेत्र के दायरे में आते हैं जो कंडिका 1 में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम XVI, 1927) के मार्फत संरक्षित वन घोषित हैं और वे क्षेत्र जो नगर निगम, नगर निकाय तथा अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों के अंतर्गत आते है ।

अनुलग्नक-875 असर्वेक्षित राजस्व ग्रामां की सूची :-

ह०/-

कमल किशोर सोन,

सरकार के सचिव ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 946-- 50.